न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 137/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. राजूराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल निवासी– ग्राम करना तहसील सिणधरी, बालोतरा		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिणधरी। 2. ग्राम पंचायत करना, तहसील सिणधरी जरिये सरपंच। 3. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय,, करना। 4. प्रहलादराम पुत्र रूगाराम जाट 5. तेजाराम पुत्र मोटाराम जाट निवासी– ग्राम करना तहसील सिणधरी, बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा प्रकरण संख्या 309/2018 अनवान राज0 सरकार बनाम राजूराम में दिनांक 17.12.2018 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 01 की ओर से।
3. श्री के0सी0 चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4 व 5 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्टस संख्या 02 एवं 03 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 28 मई, 2025

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार, सिणधरी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के समक्ष धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 8.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम करना के ख0सं0 333/1, 333/2, 333, 333/3 एवं 228 की भूमि में संचालित हो रही डामर सड़क को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त खसरों की भूमि में संचालित हो रही डामर सडक को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 17.12.2018 को

पारित कर दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.01.2019 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने सुनवाई यह कथन किया गया कि तहसीलदार सिणधरी के द्वारा राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6), जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/परि/04 दिनांक 10.8.16 का हवाला देते हुए उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के समक्ष धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 8.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम करना के ख0सं0 333/1, 333/2, 333, 333/3 एवं 228 में से होकर ग्राम करना से बालोतरा सडक चल रही है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसको राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.10.2018 को दर्ज करते हुए विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामील कुनिन्दा ने लाभार्थी पक्षकार से मिलकर अपीलान्ट का घर पर नहीं होना बताकर नोटिस आबाद मकान पर चस्पा की झूठी रिपोर्ट नोटिस पर की जाकर सम्मन वापस अधीनस्थ न्यायालय को भेज दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बाले–बाले बिना कोई जॉच किये अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2018 को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त खसरों की भूमि में संचालित हो रही डामर सडक को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया कि अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से नियम विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है क्योंकि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा भूमि के रेकर्डेड खातेदारों को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने वाला कोई साक्ष्य लिये बिना तथा रास्ते का मौके पर विद्यमान होने बाबत मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। उक्त कथित सडक अलग स्थान पर चल रही है। राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये अपीलार्थी के खेत में से अवैध रूप से रास्ता करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, ऐसे में उक्त कार्यवाही शून्य होने से से निरस्त योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा रेस्पो0 संख्या 4 व 5 को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने एवं उनकी भूमि पर पहुंच सुलभ करने हेतु ऐसा प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था। तहसीलदार ने ख0सं0 323 के खातेदार कानाराम व प्रहलादराम को फायदा पहुंचाने के लिये राजकीय प्राथमिक विद्यालय के खेल के मैदान में से 5 बिस्वा भूमि रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गैरकानूनी है। राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 10.8.2016 की आड़ में अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है तथा उक्त परिपत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम व राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से उसके आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है और न ही भूमि का मुआवजा दिये बिना भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की जा सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2018 को निरस्त किया जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करना, सिणधरी के द्वारा दिनांक 3.8.2019 को एक प्रार्थना पत्र सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को लिखा जाकर यह निवेदन किया गया है कि स्कूल की भूमि को अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। स्कूल के पास से पूर्व से ही एक रास्ता चल रहा है। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस निर्णय नजीर 2022 पार्ट–1 डीएनजे पेज 1003 का हवाला दिया गया लेकिन यह कानूनी नजीर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई। इसलिये उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं प्रावधान प्रश्नगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है, अथवा नहीं, यह विवेचन नहीं किया जा सका। विद्वान अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इस रास्ते के कारण उक्त विद्यालय दो भागों में बंट रहा है।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम करना के उल्लेखित खेत खसरो की भूमि में से मौके पर डामर सड़क का राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये हेतु निवेदन किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 17.12.2018 को जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि के अनुकूल होने से बहाल रखे जाने योग्य हैं।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो. संख्या 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा इस अपील के जरिये ख0सं0 333/1 की भूमि के खुले रास्ते को रूकवाने हेतु प्रयास किया जा रहा है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जॉच यह पाया गया था कि मौके पर पहले से रास्ता उपलब्ध है जिसे बन्द करवाया जाना उचित नहीं है। रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के उक्त प्रश्नगत रास्ते के पास ही दुकाने निर्मित है और रेस्पोडेन्टस एवं अन्य ग्रामवासी उक्त रास्ते का उपयोग/उपभोग करते आ रहे है। अपीलान्ट के द्वारा गलत तथ्यों के आधार उक्त डामर सडक को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने की कार्यवाही को रोके जाने हेतु यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करते हुए तलब किया गया था, उक्त नोटिस उनके घर पर नहीं मिलने से चस्पादंगी की जाकर उनकी तामीली पूर्ण मानी गई है। उसके बावजूद अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित भूमि पर कोई नया रास्ता घोषित नहीं किया है, उल्लेखित सडक ख0सं0 333/1 के उत्तर दिशा की तरफ वर्ष 1998 से निर्मित हो रखी है तथा फर्द मौका में भी उक्त डामर सडक के होने की पुष्टि हुई है। पूर्व में संचालित हो रही डामर सडक को ही राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 17.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया है, वो उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया जिससें यह पाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा ग्राम करना के ख0सं0 333/1, 333/2, 333, 333/3 एवं 228 की भूमि में संचालित हो रही डामर सड़क को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को अपीलान्ट के द्वारा इस आधार पर चुनौती पेश की गई है कि उन्हें प्रकरण में सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को जारी नोटिस बाद चस्पादंगी होकर संलग्न हो रखा है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सिणधरी की ओर से प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 30.01.2019 में तथा फोटो ग्राफ्स में उक्त डामर सडक का, जो कि वर्ष 1998 से निर्मित होना एवं संचालित होना दर्शाया है। उक्त अपीलाधीन आदेश को अन्य किसी

ग्रामीण ने चुनौती दी है और अपीलान्ट के खेत से जब उक्त सडक वर्ष 1998 से संचालित हो रही है तो उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सक्षम स्तर पर किसी प्रकार चाराजोही/आपत्ति पेश क्यों नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त खसरों की भूमि में से संचालित हो रही डामर सडक को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2018 को पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है तथा उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः समस्त तथ्यों के मध्यनजर हमारी विनम्र राय में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर